

Handwritten notes in the top left corner, including the name 'Rajendra' and some illegible scribbles.

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 27/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री ~~राजेंद्र~~ पुत्र ~~दादा~~

पटवारी हल्का ~~राणावा~~

जाते ~~मुक्तमारा~~ निवासी ~~इलाहाबाद~~
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर


निर्णय

पत्रावली आज बमुकान गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की ~~27~~/अनु. 1 पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~राणावा~~ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम ~~इलाहाबाद~~ के खसरा नम्बर ~~2447~~ रकबा ~~96.03~~ बीघा में से ~~1.05~~ बीघा किस्म ~~गैरसायल~~ राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये ~~50~~ अक्षर ~~9548~~ रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक ~~18/07/19~~ को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड

जुमाना ~~50~~ फसल नि. ~~—~~
कुल योग ~~50~~ जि.के पृष्ठ सं ~~26~~
वर्ष ~~2019-20~~ में इन्द्राज किया गया :


तहसील राजस्व लेखाकार